

निर्णय बईजलास करतार सिंह पुनियों आर.ए.एस., न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

प्रकरण सख्या:-44/18

दायरा 05.11.18

रामनारायण गूर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़

प्रार्थी.....

बनाम

1. बालूराम शर्मा आ० श्री घांसीलाल विक्रेता मैसर्स वंदना एजेन्सीज द्वारकाधीश कॉलोनी झालरापाटन।
2. संतोष गोयल आ० नारायणदास गोयल मालिक मैसर्स नारायण स्वीटस रावतभाटा चौराहा गुमानपुरा कोटा।
3. भारत कुमार नॉमिनी बीकाजी फूड्स इन्टरनेशनल लिमि० एफ/196-199 बिचावर इण्ड० एरिया बीकानेर पिन 334006

गैर सायलान.....

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(11)एफ०एस०एस० एक्ट 2006 नियम 2011

उपस्थित- 1- पेरोकार सरकार

-: आदेश :-

दिनांक:- 28.06.19



श्री रामनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड़ द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मैं खाद्य विभाग की अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक /एच/पीएफए/ नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों प्रयुक्त करने कि लिए अधिकृत किया गया हूँ। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वा० सेवायें राज० जयपुर के आदेश क्रमांक /एच/पी.एफ.ए./नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधि० झालावाड़ द्वारा आवंटित किया गया है और झालावाड़ जिले के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र में आते हैं।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने आवेदन मे आगे वर्णित किया गया कि दिनांक 28.04.2018 को समय सांय 05.00 बजे मय टीम के मैसर्स वंदना एजेन्सीज द्वारकाधीश कॉलोनी झालरापाटन पर निरीक्षण के लिये पहुँचा वहाँ पर बालूराम आ० घांसीलाल शर्मा खाद्य पदार्थ भुजिया (बीकानेरी बीकाजी) का विक्रय कार्य कर रहे थे वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/खाद्य व्यवसाय रजिस्ट्रेशन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया। निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य पदार्थ भुजिया (बीकानेरी बीकाजी) प्लास्टिक पेकेट 400 ग्राम B.n.(K18c70)Mfd Date 30 Mar.2018Best Before 29 sep. 2018 के 120 पैकेट्स जो कि दुकान के स्टोर मे रखे हुवे थे जो आम जनता को बैचान की जा रही थी। इसमें मिलावट का संदेह होने पर 400 ग्राम के चार मूल पैक उक्त ब्राण्ड भुजिया (बीकानेरी बीकाजी) को वास्ते नमूना जॉच हेतु खरीदी, जिसकी कीमत विक्रेता को रु 200 नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाह के हस्ताक्षर करवा कर स्वयं ने किये जो इस्तगासे के साथ संलग्न है। मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रति तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे बालूराम विक्रेता एवं मालिक, ने भी पढ़कर सुनकर एवं समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये, फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति बालूराम को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5ए इस्तगासे के साथ संलग्न है। खरीदशुदा खाद्य पदार्थ भुजिया (बीकानेरी बीकाजी) के चार मुल पैक को लेकर प्रत्येक पर लेबल चिपकायें व खाद्य पदार्थ का विवरण एवं डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक वी-945 नमूना लेने की दिनांक ,स्थान दर्ज किया तथा प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करायें। नमूना भागों को अलग-2 खाकी कागज में लपेट कर दोनो किनारो को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक पेपर स्लिप नं. वी-945 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारों नमूना भागों को अपने जाप्टें में लिया। मौके पर नियमानुसार कार्यवाही कर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं गवाहान ने पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं मैने हस्ताक्षर किये, फर्द रिपोर्ट की प्रति इस्तगासे के साथ संलग्न है। कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की 6 प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर एवं दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर श्रीमति गायत्री देवी च.श्रे.कर्म. कार्या. हाजा के द्वारा श्रीमान मुख्य खाद्य विशलेषक कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)

जो इस्तगासे के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झालावाड़ के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2006/100 दिनांक 04.06.18 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. 305/एफ.एस.एस.ए./कोटा एक्ट/2018/338 दिनांक 31.05.18 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य पदार्थ भुजिया (बीकानेरी बीकाजी) जांच रिपोर्ट में मिसब्राण्ड होना पाया गया है जिसकी सूचना गैर सायलान को अधिनियम की धारा 46(4) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड डाक द्वारा पुनः जांच करवाने हेतु दी गई, जिसके विरुद्ध कोई अपील प्राप्त नहीं हुई, जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में यह भी कथन किया है कि अभिहित अधिकारी एवं चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी झालावाड़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2018/126 दिनांक 16.08.18 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। इसी के साथ निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में गैरसायलान ने खाद्य पदार्थ भुजिया (बीकानेरी बीकाजी) मिसब्राण्ड का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जर्ज नोटिस तलब किया गया एवं नोटिस में नियत दिनांक एवं समय पर अम्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया। गैर सायल नं०1 बालूराम शर्मा द्वारा निर्धारित दिनांक को उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें अनुरोध किया गया कि उनके द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ गैर सायल नं० 2 से कय कर विक्रय किया गया था साथ में बिल की प्रति भी संलग्न की गई गैर सायलान नं० 2 व 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे दौराने बहस गैर सायल नं० 1 भी अनुपस्थित रहे प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही करते हुवे बहस परोकार सरकार खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुनी गई परोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्य की पुष्टि में सलग्न किये गये दस्तावेजों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये कथन किया कि गैरसायलान द्वारा खाद्य पदार्थ भुजिया (बीकानेरी बीकाजी) मिसब्राण्ड का विक्रय किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट से साबित होता है। आवेदन किये जाने हेतु पदाभिहित अधिकारी से प्राप्त लिखित प्राधिकार भी आवेदन के साथ संलग्न किया गया है। गैर सायलान से अवमानक खाद्य पदार्थ भुजिया (बीकानेरी बीकाजी) मिसब्राण्ड के नमूने लिये जाने की कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज भी आवेदन के साथ संलग्न किये गये हैं। उक्त सभी दस्तावेजों से साबित होता है कि गैर सायलान द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ भुजिया (बीकानेरी बीकाजी) मिसब्राण्ड का भण्डारन एवं विक्रय किया गया है। अतः इस्तगासा स्वीकार फरमाया जाकर गैर सायलान को ज्यादा से ज्यादा जुर्माने से दण्डित किया जावे ताकि आम जनता को बेचान हो रहे मिथ्या छाप खाद्य पदार्थ पर अंकुश लग सके।

हमने पत्रावली एवं गैर सायल नं० 1 द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब का अधोपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टिया होती है। गैर सायलान द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ भुजिया (बीकानेरी बीकाजी) मिसब्राण्ड का विक्रय किया जाना सन्देह से परे साबित है। फूड एनालिस्ट की जांच रिपोर्ट अनुसार गैर सायलान का यह कृत्य एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 3(1)(जेड.एफ.)(सी)(आई) के प्रावधानों के उल्लंघन की श्रेणी है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में है, जिसके लिए जुर्माने का दण्ड अधिनियम की धारा 52 में उपबन्धित किया गया है। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुये गैर सायलान 1 लगायत 3 (1 बालूराम, 2 संतोष गोयल, 3.भारत कुमार नॉमिनी बीकाजी फूड्स) प्रत्येक को 100000-100000 (अक्षरे एक-एक लाख रुपये) के जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियमानुसार उक्त राशि वसूली की कार्यवाही कर जुर्माना राशि राजकोष में जमा करा चालान की प्रति न्यायालय में पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.06.19 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया। निर्णय की प्रति शामिल पत्रावली रहे।



28/6/19
न्यायनिर्णयक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)